हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

71वीं बैठक मद संख्या (02) का एजेण्डा

दिनांकः 16/06/2021

(परिचालन के माध्यम से)

Scanned with CamScanner

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 71 वी बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

पत्रावली संख्या:– प्रशा0 2(क)/22/217/2020–21

मद संख्या 71 (01)

विषय:– एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यवसायिक भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान/कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ0पी0डी0 /पैथोलिजी लैब/डाईग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, केच एवं प्ले ग्रुप स्कूल से सम्बन्धित निर्माणों को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 707/V–2–आ0–2021–105 (आ0)/2013 टी0सी0 देहरादून दिनांक 24 मार्च 2021 द्वारा पूर्व में एक बार समाधान योजना के कियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए पर्यटन गतिविधियो को बढ़ावा देने हेतु/एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान/कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ0पी0डी0/पैथालॉजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर, नर्सरी स्कूल/क्रेच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के सम्बन्ध में किये गये अनियमित निर्माणों को एक बार समाधान योजना, 2021 के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने हेतु एकल समाधान (**One time settelment**) योजना लागू किया जाना है, जो शासनादेश के निर्गत होने के 06 माह तक प्रभावी होगी।

शासानादेश के अनुसार उपरोक्त उपविधि के प्राविधान/मानकों पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

मद संख्या 71(02)

विषय:– श्री मुकेश कुमार चौधरी,ए फ–71/72 औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार के भूमि, खसरा संख्या–27 क्षे0–0.428, 29/2 क्षे0–0.073977, 30/1 क्षे0–0.773, 30/2 क्षे0–0.372, 30/3 क्षे0–0.424 30/4 क्षे0–0.526 30/5 क्षे0–0.527, 30/6 क्षे0–0.072, 30/7 क्षे0–0.154 30/8 क्षे0–0.102 कुल रकबा – 3.451977 हैक्टेयर ग्राम व मौजा जियापोता तहसील ज्वालापुर जिला हरिद्वार में कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग अर्न्तगत परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मुकेश कुमार चौधरी,ए फ–71/72 औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार के पत्र दिनॉक 07–10–2020 द्वारा भूमि खसरा संख्या–27 क्षे0–0.428, 29/2 क्षे0–0.073977, 30/1 क्षे0–0.773, 30/2 क्षे0–0.372, 30/3 क्षे0–0.424 30/4 क्षे0–0.526 30/5 क्षे0–0.527, 30/6 क्षे0–0.072, 30/7 क्षे0–0.154 30/8 क्षे0–0.102 कुल रकबा – 3.451977 हैक्टेयर ग्राम व मौजा जियापोता तहसील ज्वालापुर जिला हरिद्वार में कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग अर्न्तगत परिवर्तन प्रकरण पर मुख्यालय के पत्रांक–3443 दिनांक–29.11.2019 द्वारा पूर्व प्रेषित आख्या को पुनः परीक्षण कर पुर्नविचार किये जाने के सम्बन्ध मे अनुरोध किया गया है। उक्त कम मे मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड द्वारा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण उपरान्त विभागीय आख्या निम्नवत है:–

1. भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित भूमि खसरा स–27 क्षे0–0.428, 29/2 क्षे0–0.073977, 30/1 क्षे0–0.773, 30/2 क्षे0–0.372, 30/3 क्षे0–0.424 30/4 क्षे0–0.526 30/5 क्षे0–0.527, 30/6 क्षे0–0.072, 30/7 क्षे0–0.154 30/8 क्षे0–0.102 कुल रकबा– 3.451977 हैक्टेयर ग्राम व मौजा जियापोता तहसील ज्वालपुर जिला हरिद्वार में

Scanned with CamScanner

स्थित है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखनुसार प्रश्नगत भू–खण्ड पर आवेदक का स्वामित्व है।

2. हरिद्वार महायोजना–2025 के अनुसार प्रश्नगत भू–खण्ड क्षे0–3.451977 हैक्टेयर का भू–उपयोग कृषि अर्न्तगत है।(आंशिक हरिद्वार महायोजना–2025 मे स्थित स्थल की छाया प्रति संलग्न है)
3. प्रश्नगत स्थल 30.00 मी0 चौडे प्रस्तावित महायोजना(हरिद्वार–लक्सर) मार्ग से 12 मी0 चौडे एवं 51.0 मी0 लम्बे मार्ग से सम्बद्ध है।
4. खसरे की नकल खतौनी मे वर्णित अनुसार प्रश्नगत स्थल पर विगत 08 वर्षो से कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है।
5. प्रश्नगत क्षेत्र महायोजना मे नगरीय प्रसार के निकट स्थित है,जिसके चारो ओर तीव्र गति से अनियोजित आवासीय निर्माण कार्य गतिमान है।
6. अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल से लगभग 500.0 मी0 आगे हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय आवासीय कालोनियो को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
7. प्रश्नगत स्थल के आस पास की स्थिति एवं हरिद्वार महायोजना–2025 मे नगरीय क्षेत्र के प्रसार के निकट स्थिति के दृष्टिगत प्रश्नगत भू–खण्ड का भू–उपयोग महायोजना मे आरक्षित कृषि से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अवगत कराना है कि भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है। अतः प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आरक्षित कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु शासन को संदर्भित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

अध्यक्ष
न0पा0प0 शिवालिक नगर
हरिद्वार

15/06/2021
नगर आयुक्त
नगर निगम
हरिद्वार

नियमानुसार आदेशार्थ अग्रसारित। 16.6.21
जिलाधिकारी
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव/प्रमुख सचिव
वित्त

अधीक्षण अभियन्ता
अधिकृत प्रतिनिधि
सचिव पेयजल

सचिव/ प्रमुख सचिव
तीर्थाटन/पर्यटन

संयुक्त सचिव
आवास

आयुक्त, गढवाल मण्डल/
एंव अध्यक्ष ह0रू0वि0प्रा0

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर हरिद्वार।

संख्या : 1919 /प्रशा0–2(क)–22/79/2021–22 दिनांकः 26/07/2021

विषय : **हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (परिचालन विधि से सम्पन्न) 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिक्रण की 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (02) (परिचालन विधि से) दिनांक 16.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0ललित नारायण मिश्र)
O/L सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

(डॉ0ललित नारायण मिश्र)
O/L सचिव

Scanned with CamScanner

/

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 1920/प्रशा0–2(क)–22/79/2021–22 दिनांक: 26/07/2021

1– संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, रूड़की
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– प्राधिकरण तहसीलदार, हरिद्वार।
4– अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
5– अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/समस्त वाद सहायक।
7– आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 (परिचालन के माध्यम से सम्पन्न) के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः
उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉपलैक्स,
डिसपेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 1842/महायोजना/2021–22 दिनांकः 17.7.21

विषयः कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री मुकेश कुमार चौधरी द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि खसरा संख्या–27 क्षेत्रफल 0.428, 29/2 क्षेत्रफल–0.073977, 30/1 क्षेत्रफल–0.773, 30/2 क्षेत्रफल 0.372, 30/3 क्षेत्रफल–0.424, 30/4 क्षेत्रफल–0.526, 30/5 क्षेत्रफल–0.527, 30/6 क्षेत्रफल 0.072, 30/7 क्षेत्रफल–0.154, 30/8 क्षेत्रफल–0.102 कुल रकबा–3.451977 हैक्टेयर, ग्राम व मौजा जियापोता तहसील व जिला–हरिद्वार में कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। उक्त पर परीक्षणोपरान्त वरिष्ठ नियोजक/मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या–1438 दिनांक 15.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि हरिद्वार महायोजना–2025 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग कृषि है तथा इस स्थल के आस–पास बड़ी संख्या में अनियोजित विकास हो रहा है। स्थल पर विगत 08 वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत स्थल के भू–उपयोग को हरिद्वार महायोजना–2025 में कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने की संस्तुति सहित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की आख्या दी गयी। उक्त आख्या के आधार पर प्रकरण प्राधिकरण द्वारा परिचालन बोर्ड के माध्यम से मद संख्या–71(2) (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया। जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या–1473 दिनांक 23.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) तहसीलदार, हरिद्वार को जनहित याचिका संख्या–119/2013 में पारित आदेश दिनांक 19.06.

Scanned with CamScanner

(60)

2018 के प्रस्तर 14(V) के क्रम में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। ततक्रम में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल का भू–उपयोग वर्तमान में बंजर व अकृषक (खाली) भूमि है, जिसका उपयोग खेती के रूप में नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि नियोजन विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्याओं के क्रम में ग्राम जियापोता, तहसील व जिला–हरिद्वार के उल्लिखित खसरा नम्बरों जिसका कुल रकबा 3.451977 हैक्टेयर है को हरिद्वार महायोजना–2025 में कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की आख्या अपने स्तर से शासन को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 ललित नारायण मिश्र)
सचिव

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या–1438 दिनांक 15.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

Scanned with CamScanner